तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 62/2024 सुजाराम बनाम बगताराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर** पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस **आदेश** दिनांक 27.03.2025 उपस्थिति 1. अपीलांटस की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह राजपुरोहित 2. प्रार्थी/आवेदक की तरफ से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी 3. उत्तरदाता संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि उत्तरदाता संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट अधिवक्ता को दिनांक 12.03.2025 को न्यायालय परिसर में सूचित किया गया कि उक्त अपील में उत्तरदाता संख्या 01 बगताराम का देहान्त कुछ अरसा पूर्व हो चुका है। बगताराम के वारिसान का नाम अपील में पक्षकार बतौर उत्तरदाता संयोजित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है जिस हेतु यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। अपीलांट द्वारा जानबूझकर मृतक पक्षकार को संयोजित नहीं किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 11 में मृतक के वारिसान को रेकर्ड पर लेने के प्रावधान किये हुए हैं। अतः अपीलांट का आवेदन दिनांक 26.03.2025 को स्वीकार किया जाकर उत्तरदाता संख्या 01 के वारिसान को रेकर्ड पर लिया जावे। प्रार्थी/आवेदक के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा मृतक पक्षकार को संयोजित करते हुए अपील पेश की गई। उक्त अपील मेरे पिताजी के विरूद्ध उनके देहान्त होने के पश्चात प्रस्तुत की गई जो एबेट होने योग्य है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर मृतक पक्षकार के विरूद्ध एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक रास्ते के निर्माण में अवरोध कारित करने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया गया। उभयपक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। भाई के फौत होने की जानकारी अपीलांट को नहीं हुई हो मानने योग्य नहीं है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता आम सहमति से दिया गया। अतः अपीलांट की अपील एबेट होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उत्तरदाता संख्या 02 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील मृतक पक्षकार को संयोजित करते हुए पेश की गई। मृतक पक्षकार को संयोजित करते हुए अपील पेश करने के बाद आदेश 22 नियम 04 का आवेदन पेश नहीं किया जा सकता। अतः अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट द्वारा पेश आवेदन में उत्तरदाता संख्या 01 फौत कब हुआ कोई उल्लेख नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 की ताईद में कोई शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा उत्तरदाता संख्या 01 के मृत्यु प्रमाण–पत्र की फॉटो प्रति पेश की गई जिसमें स्पष्ट अंकित है कि उत्तरदाता संख्या 01 की मृत्यु दिनांक 18.12.2023 को हुई। हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.08.2024 को मृतक पक्षकार को संयोजित करते हुए पेश की गई। अधिवक्ता अपीलांट राजस्व रेकर्ड के आधार पर अपील प्रस्तुत करना कहते हैं लेकिन उनके द्वारा हस्तगत अपील के साथ वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी को पेश नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील मृतक पक्षकार को संयोजित करते हुए पेश करने से एबेट हो चुकी है। अपील एबेट होने से इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

27/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर